मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-10.06.2015 को अपराह्न 5.00 बजे मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त एक पत्र पर चर्चा किया गया। उक्त पत्र में यह वर्णित है कि कुछ विभाग के द्वारा कुछ मामले में लम्बे समय तक कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नही किया गया है। विधि विभाग को उक्त पत्र किस विभाग से संबंधित है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह कहा गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित CWJC मामलों की संख्या जो वर्त्तमान में 5000 से अधिक है इसे घटाकर 2000 तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस संबंध में सभी विभागों को अपने स्तर से प्रयास किए जाने का निर्देश दिया गया है।

4. स्वास्थ्य विभाग में लंबित 190 MJC मामलों के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को मामलों की संख्या में शीघ्र कमी लाने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि 190 MJC के लंबित मामलों में से 93 में स्वास्थ्य विभाग Proforma Party है। मुख्य सचिव द्वारा Proforma Party रहने की स्थिति में भी Short Counter Affidavit दायर करने के लिए निर्देश दिया गया।

5. शिक्षा विभाग में लंबित CWJC/MJC मामलों के संदर्भ में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि तथ्य विवरणी तैयार करने के निमित्त वकीलों की फीस के रूप में करीब 60,000/- (साठ हजार रुपया) भुगतान किया गया है। यह राशि अधिक थी अत: अधिवक्ता को मुक्त कर दिया गया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शिक्षा विभाग को लंबित मामलों में C/A समय पर दाखिल करने की कारवाई करने का निर्देश दिया गया।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वैसे विभाग जहाँ CWJC के सर्वाधिक मामले लंबित हैं, पर चर्चा किया गया। इनमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग शामिल हैं। इन विभागों को लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने हेतु अपने स्तर से प्रयास करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह कहा गया कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्य मामलों की संख्या में कमी लाना है। अत: इस बैठक की सार्थकता बनी रहे इस संबंध में सभी विभाग हर संभव प्रयास करें। साथ ही सभी विभाग मुकदमा नीति के तहत् प्राप्त आवेदनों पर की गयी कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पाँच विभागों पर चर्चा किया गया। इस विभागों में समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग शामिल है। इनके प्रयासों की सराहना मुख्य सचिव, बिहार द्वारा किया गया।

8. बैठक में CWJC मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले पाँच विभागों पर भी चर्चा किया गया। इन विभागों में पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिला है। इन विभागों का प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की इस कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने व लंबित मामलों में शीघ्र C/A दायर करने हेतु निदेश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

18/6/15
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...4073....जे0 पटना, दिनांक-..22/06/15....

प्रतिलिपिः- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/......4073.जे0 पटना, दिनांक-..22/06/15.....

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6
(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।